भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2606

दिनांक 19.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन॰आर॰डी॰डब्ल्यू॰पी॰) के अंतर्गत राजस्थान को वित्तीय सहायता

2606. श्री नारायण लाल पंचारिया:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन॰आर॰डी॰डब्ल्यू॰पी॰) हेतु राज्य–वार कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं;
(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्थान हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) राजस्थान के लोगों को पेयजल प्रदान करने के मिशन के अंतर्गत राजस्थान को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या वर्ष 2017–18 के बजट आबंटन की तुलना में हाल के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु आबंटन में वृद्धि की गई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) जी हाँ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राजस्थान के लिए निर्धारित लक्ष्य का विवरण (अर्थात् पेयजल आपूर्ति से कवर की जाने वाली ग्रामीण बसावटों की संख्या) निम्नलिखित है:

वर्ष	बसावटों की संख्या जिन्हें कवर किया जाना है
2015-16	1963
2016-17	2039

(ग) इस मंत्रालय में लगभग 28,000 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 22 मार्च 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) की शुरूआत की है। इसके अंतर्गत राजस्थान को दिनांक 14.03.2018 तक 790.02 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

(घ) और (ड.) जी हाँ। एनआरडीडब्ल्यूपी के के लिए बीई (बजटीय अनुमान) आबंटन वर्ष 2017-18 के 6050 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 7000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।